न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 3206–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–7–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 149/अपील/13–14.

रामगोपाल चौरे आत्मज चिरौंजीलाल चौरे
निवासी ग्राम पथौड़ी
तहसील व जिला होशंगाबाद .....अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद .....प्रत्यर्थी

श्री अमित पटेल, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 2/10/15 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पथौड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 33/1, 34/1, 39/1, 47/1, 35, 160/1 एवं 161/1 कुल रकबा 4.415 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की है और चकबन्दी के दौरान उक्त सर्वे नम्बरों का रकबा 4.101 हेक्टेयर हो गया है, अर्थात 2.27 एकड़ में से 0.78 डिसमिल भूमि कम कर नवीन सर्वे कमांक 55 का निर्धारण कर रकबा 1.49 एकड़ भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज हुई, शेष रकबा 0.78 डिसमिल भूमि शासन द्वारा हरितकांति योजना के अन्तर्गत अर्जित कर प्राथमिक शाला पथोड़ी को प्रदान कर नवीन सर्वे कमांक 53 का निर्धारण किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी के मकान को भी हरितकांति योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना दर्शाया गया है, अतः उक्त त्रुटि संशोधित की जाये । कलेक्टर द्वारा जांच उपरान्त दिनांक

5–3–14 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–7–15 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 55 एवं 38 के मध्य स्थित भूमि जो कि पूर्व से ही अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर खानदानी सम्पत्ति है, जिस पर नये सर्वे नम्बर का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फार्म ई के चक नम्बर 02 में अपीलार्थी को दिये जाने का उल्लेख है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थी का वर्षो से मकान बना हुआ है, जिसमें वह निवास कर रहा है और मकान अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता है ।

(3) सर्वे कमांक 34/1 से विभाजन उपरान्त सर्वे कमांक 34/4 निर्मित हुआ है, अर्थात चकबन्दी के पश्चात सर्वे कमांक 34/4 से नवीन सर्वे कमांक 53 बना है, जिसे शासकीय होना दर्शाया गया है, जबकि वह अपीलार्थी के मालिकाना हक की सम्पत्ति है ।

(4) कलेक्टर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा चकबन्दी अधिकारी के प्रतिवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही उनके द्वारा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है ।

(5) अपीलार्थी द्वारा उक्त बिन्दु आयुक्त के समक्ष उठाये गये थे, किन्तु आयुक्त द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन0 175 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से विधिवत जॉच कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त कर, प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 53 वर्तमान में शासकीय भूमि होकर स्कूल के लिए सुरक्षित है

और खसरा नम्बर 53 पुराना खसरा नम्बर 25 से निर्मित हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 34/4 से खसरा नम्बर 53 बना है, जबकि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 34/1 से खसरा नम्बर 55 का निर्माण हुआ है न कि खसरा नम्बर 53 से और आवेदक की भूमि कभी भी खसरा नम्बर 53 का हिस्सा नहीं रही है । आवेदक अपने भूमि खसरा नम्बर 55 से शासकीय खसरा नम्बर 53 से विनिमय चाहता है, जो विचार योग्य नहीं है । आयुक्त द्वारा भी इसी आशय के निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए प्रथम अपील निरस्त की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–15 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर